

11/11/16  
बलरामपुर  
जिलाधिकारी

*(Handwritten signature)*  
D10 (HIC)  
E-111

मुख्य जिल्ह्या अधिकाारी,  
बलरामपुर।

1. जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर को सार्वजनिक आवासीय भवन निर्माण के लिए आवेदन पत्रों में निम्नलिखित प्रकृतियों का उल्लेख किया जा रहा है कि उचित प्रकृति में समस्त
2. जिला योजना अधिकारी, बलरामपुर को उक्त आवेदन में उल्लेखित प्रकृति को उचित प्रकृति में समस्त
3. जिला सार्वजनिक विकास अधिकारी, बलरामपुर को उक्त आवेदन में उल्लेखित प्रकृति को उचित प्रकृति में समस्त
4. इंजीनियर जनरल को उक्त आवेदन में उल्लेखित प्रकृति को उचित प्रकृति में समस्त

पत्रांक : वि०५०५४/ऑनलाइन/2016-17/8476-79  
दिनांक 10.11.2016

कायालय मुख्य जिल्ह्या अधिकाारी, बलरामपुर।

( 10 आर्शादीष गुपता )  
मुख्य जिल्ह्या अधिकाारी,  
बलरामपुर।

मुख्य जिल्ह्या अधिकाारी, बलरामपुर से अवगत कराया है कि जनपद के विकलांगजनो द्वारा कायालय मुख्य जिल्ह्या अधिकाारी, बलरामपुर से विकलांगता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है। इसके लिए आवेदन को किसी भी कार्य दिवस में लोकवाणी केंद्र/जनसेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने के उपरान्त एक माह के अन्दर किसी भी प्रकार को मुख्य जिल्ह्या अधिकाारी कायालय बलरामपुर में आवेदन के आवेदन को अपनी जांच करानी होगी। जांच के उपरान्त ही विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा। आवेदनक अपना विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त कार्य दिवस के अन्दर लोकवाणी केंद्र/जनसेवा केंद्र में प्राप्त कर ले। यदि आवेदनक एक माह के अन्दर मुख्य जिल्ह्या अधिकाारी कायालय, बलरामपुर में आवेदन नहीं करवाता है तो एक माह के उपरान्त उसका ऑनलाइन आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। इस सम्बन्ध में मुख्य जिल्ह्या अधिकाारी, बलरामपुर के विकलांगजनो से यह अधील किया है कि वे ऑनलाइन आवेदन करने के एक माह के अन्दर किसी भी प्रकार को कायालय में आकर अपनी जांच कराकर लोकवाणी केंद्र/जनसेवा केंद्र से विकलांग प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले।